खंड 1 संख्या 132

राष्ट्र महिला

जुलाई 2010

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

राज्य महिला आयोगों के साथ राष्ट्रीय परामर्श

राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्षाओं तथा सदस्य-सचिवों के साथ एक दो-दिवसीय परामर्श आयोजित किया।

इस अवसर पर बोलते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कृष्णा तीरथ ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों पर अपनी नीतियों में भारी बदलाव किया है और अब तक की प्रमुखतः कल्याणपरक नीति के स्थान पर आगे से हाशिये पर रह रही महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण की नीति अपनाई जायेगी। उन्होंने राज्य महिला आयोगों से अपने राजनीतिक लगाव से ऊपर उठने को कहा।

अपने स्वागत भाषण में, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि राज्य महिला आयोगों को इस संबंध में बहुत अहम भूमिका निभानी है क्योंकि महिला सशक्तिकरण के मुद्दे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं और राज्य महिला आयोग अपने यहाँ के मुद्दों को अधिक निकट से जानते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग, गैर सरकारी संगठनों तथा महिला संगठनों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए सभी स्तरों पर समितियाँ बनाई जानी चाहिए। अनैतिक व्यापार से निबटने के लिए उन्होंने सार्क देशों के बीच सहयोग बनाए जाने की हिमायत की।

डॉ. गिरिजा व्यास और श्रीमती कृष्णा तीरथ राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्षाओं के साथ

परामर्श में सुश्री रंजना कुमारी, डॉ. मोहिनी गिरि, डॉ. गिरिजा व्यास, श्रीमती कृष्णा तीरथ, डॉ. सईदा हमीद, श्री वी.के. सीकरी, सुश्री यास्मीन अब्बार

बाद में, पत्रकारों से बात करते हुए डॉ. व्यास ने इस बात पर निराशा व्यक्त की कि सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को महत्व नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता के दौरान आयोग द्वारा प्रस्तुत 21 रिपोर्टों में से केवल 8 को सभा पटल पर रखा गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा डॉ. मोहिनी गिरि ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय महिला आयोग को राजनीति प्रवृत्त होने से बचाने के लिए, उसके सदस्यों का चयन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के

सदस्यों के चयन की प्रणाली पर किया जाना चाहिए; अन्यथा यह किस प्रभार संविहित स्वायत्त संस्था बन सकेगी?

उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि आयोग की रिपोर्टों को सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जाता। जो महिलाएं वर्षों से जेलों में पड़ी हैं उन्हें त्वरित न्याय दिलाने के लिए उन्होंने जेल अदालतें गठित किए जाने का सुझाव दिया।

डॉ. किरन बेदी ने अपने भाषण में राज्य आयोगों से आग्रह किया कि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वे मीडिया तथा उद्योगों का प्रयोग करें ताकि महिलाएं अपने अधिकारों से अवगत हों। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों के महिला आयोग पुलिस एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ मिल कर कार्यक्रम आयोजित करें और यदि आवश्यक हो तो यह मालूम करने के लिए कि पुलिस ने महिलाओं से प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है, कोई भेदिया नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि पुलिस वेबसाइट पर शिकायतें दर्ज करने में कोई कोताही न बरती जाये और कोई कार्यवाही न होने पर, सूचना अधिकार का प्रयोग किया जाये।

सुश्री रंजना कुमारी ने अपने संबोधन में कहा कि आयोग के तीन बड़े कृत्य अधिक वित्त, अधिक अधिकार तथा महिलाओं के लिए अधिक प्रतिष्ठा होने चाहिए। आरक्षण विधेयक पर उन्होंने कहा कि इसे पारित कराने के लिए महिला संगठनों को सांसदों पर संयुक्त दबाव डालना चाहिए।

परामर्श के दौरान कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, यौन प्रहार, लड़कियों के विवाह की आयु, दहेज कानून का दुरुपयोग, घरेलू हिंसा, महिला उन्मुख बजट प्रावधान, गर्भ-पूर्व लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम, अनैतिक व्यापार, मर्यादा हत्या आदि विषयों पर चर्चा हुई।

परामर्श में सुश्री यास्मीन अब्रार, डॉ. गिरिजा व्यास, सुश्री वानसुक सयीम, सुश्री ज़ोहरा चटर्जी

समाचार प्रसारणकर्ताओं के साथ बैठक

मीडिया में महिलाओं के अशोभनीय प्रसारण और आत्म-संयम की आवश्यकता के मुद्दों पर राष्ट्रीय महिला आयोग की चिंता और विचारों को प्रकट करने के प्रयोजन से आयोग ने हाल ही में समाचार प्रसारण संघ तथा प्रसारण सम्पादक संघ के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की।

इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कहा कि इन मामलों में आयोग, संविधान में उपबंधित अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य अधिकार के समनुकूल, मीडिया द्वारा आत्म-संयम बरते जाने का प्रबल पक्षधर है। उन्होंने कहा कि सामान्यतः समाचार चैनल अपने व्यवहार में उत्तरदायित्व बरतते हैं, किन्तु मनोरंजन चैनलों को सही तरीके से प्रसारण करने के लिए विनियमित किए जाने

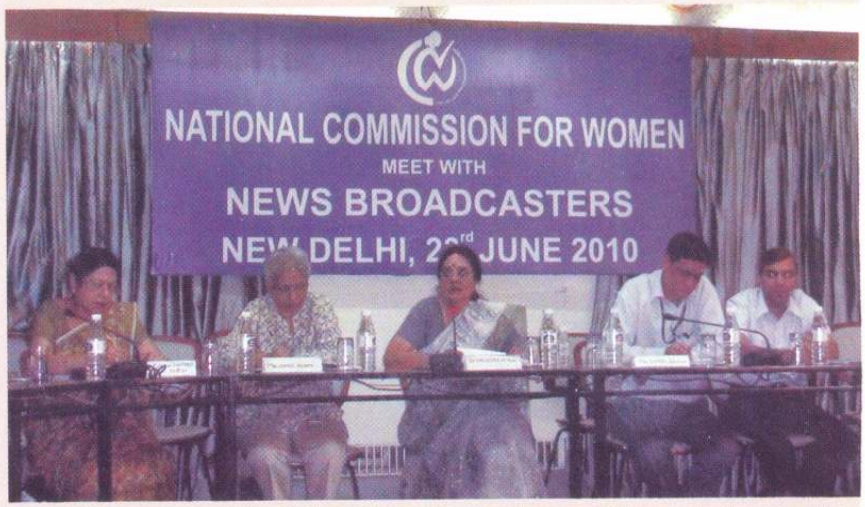

समाचार प्रसारणकर्ताओं की बैठक में (बायीं ओर से) सदस्य सचिव सुश्री ज़ोहरा चटर्जी, सुश्री एनी जोसफ, डॉ. गिरिजा व्यास, श्री शाजी ज़मान, श्री एन.के. सिंह

की आवश्यकता है। महिलाओं का अशोभनीय प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम के बारे में डॉ. व्यास ने कहा कि विज्ञापनों में महिलाओं को अशोभनीय तरीकों से प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम में प्रभावी संशोधन किए जाने आवश्यक हैं।

"मर्यादा हत्याओं" का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसे लोगों को कठोर दण्ड देने की बात कही गई है जो तथाकथित "मर्यादा हत्याओं" के समर्थन में भड़काऊ वक्तव्य देते हैं। एक संज्ञा देकर क्रूर एवं जघन्य अपराध को गौरवान्वित किया जा रहा है। डॉ. व्यास ने कहा कि पुलिस तथा सरकार को यह आश्वस्त करना चाहिए कि ऐसे अपराधों के शिकार व्यक्तियों को, यदि वे जीवित बचें, सुरक्षा प्रदान की जाये और उनका पुनर्वास किया जाये।

उन्होंने सुझाव दिया कि अपराधों को प्रसारित करते समय वे यह भी बताएं कि इनके लिए क्या दंड है और राहत के लिए कहाँ जाया जाए।

समाचार प्रसारण संघ की महामंत्री सुश्री एनी जोसफ ने आयोग की पहल की प्रशंसा करते हुए का कि उनके संघ को आयोग के सहयोग में अपराध रिपोर्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने में प्रसन्नता होगी।

प्रसारण सम्पादक संघ के अध्यक्ष श्री शाही ज़मान ने आश्वासन दिया कि जैसे-जैसे समाचार चैनल विकसित होंगे वे आचार-केन्द्रित भी बनेंगे। कानूनों की वैधता एवं स्वीकार्यता स्थापित करने की आवश्यकता, उनका भ्रष्टाचार-रहित पालन और पुलिस तथा न्यायपालिका को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के मुद्दे भी चर्चा के दौरान उठाए गये।

राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के साथ आयोग की बैठक

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्यों के महिला आयोगों के साथ दो दिन तक राष्ट्रीय परामर्श किया जिसके पश्चात् सारे राज्यों के महिला आयोगों की अध्यक्षाओं तथा सदस्य-सचिवों ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास के नेतृत्व में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से भेंट की।

डॉ. व्यास ने राष्ट्रपति को आयोग के कृत्यों के बारे में सूचित किया और दो-दिवसीय परामर्श से निकली सिफारिशों से अवगत कराया।

राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि आयोगों को सामाजिक परिवर्तन लाने का अभिकर्ता बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करने तथा महिलाओं संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जा रहा है। आयोग को सभी स्तरों पर जागरूकता पैदा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को हिंसा और शोषण सहन नहीं करना चाहिए और उनके अधिकारों की लड़ाई प्रत्येक स्तर पर एक अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में लड़ी जानी चाहिए।

डॉ. गिरिजा व्यास और राज्य आयोगों की अध्यक्षाएँ राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल के साथ

महत्वपूर्ण निर्णय

● दूसरी पत्नी भरण-पोषण की हकदार नहीं

बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यदि कोई हिन्दू महिला पहले से विवाहित पुरुष के साथ विवाह करती है तो बाद में वह भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती।

बम्बई की एक खंडपीठ ने कहा कि ऐसी महिला को न तो हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत और न ही हिन्दू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के अंतर्गत भरण-पोषण मिल सकता है।

पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह करना हिन्दू कानून में अवैध और अमान्य है।

● दुत्कारे गये प्रेमी द्वारा दी गयी धमकी आत्महत्या उकसा सकती है : उच्च न्यायालय

बम्बई उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी दुत्कार दिए गये प्रेमी द्वारा लड़की का जीवन नष्ट कर देने की धमकी दिया जाना स्पष्टतः आत्महत्या उकसाने का मामला है।

न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार फोटो के जरिये ब्लैकमेल करना "आत्महत्या उकसाना" समान है।

● पत्नी यदि इस्लाम में धर्म-परिवर्तन न करे तो मुस्लिम पुरुष के साथ उसका विवाह इस्लाम सिद्धांतों में अमान्य होगा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष किसी अन्य धर्म की महिला से विवाह करता है परन्तु विवाह से पूर्व वह उसे इस्लाम धर्म स्वीकार कराने में असफल रहता है तो इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार ऐसा विवाह शून्य होगा।

अपने निर्णय में खंडपीठ ने यह भी कहा कि यदि कोई मुस्लिम पुरुष बिना तलाक लिए अपनी पहली पत्नी को छोड़ कर दूसरा विवाह करता है और पहली पत्नी के बच्चों की सही तरीके से देखभाल नहीं करता तो उसका दूसरा विवाह शून्य होगा।

● विवाह अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं

खाप पंचायतों की यह मांग कि एक ही गोत्र के विवाह को अमान्य ठहराने के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन किया जाये सरकार को मंजूर नहीं है।

विधि मंत्री श्री एम. विरप्पा मोइली ने कहा कि "मंत्रालय के समक्ष अधिनियम में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।हमने विवाह का पंजीकरण 30 दिनों के अंदर कराए जाने की अवधि हटाने के लिए विशेष अधिनियम में संशोधन करने की सिफारिश की है, किन्तु हिन्दू विवाह अधिनियम पर हम कुछ नहीं कर रहे हैं।"

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, माता की वंश-श्रेणी में तीसरी पीढ़ी तक और पिता की वंश-श्रेणी में पांचवीं श्रेणी तक ऐसा प्रतिबंध है।

विधि मंत्रालय ने कहा कि "इन प्रतिबंधित श्रेणियों से आगे बढ़ कर किसी विवाह को गैर कानूनी करार दिया जाना कानूनन ठीक नहीं होगा।"

● पुत्री पर पहला अधिकार माँ का होगा

दिल्ली के एक न्यायालय ने एक पिता से, जो अपनी विरक्त पत्नी को सूचित किए बिना अपनी पुत्री को लेकर भाग आया था, कहा कि पुत्री पर पहला अधिकार उसकी माँ का है। न्यायालय ने पिता से उस नाबालिग लड़की की हिरासत अपनी पत्नी को दे देने को कहा।

शिकायत कक्ष से

आयोग ने उत्तर प्रदेश में जिला सहारनपुर के बेहात टाउन की एक नवीं कक्षा की छात्रा के सामूहिक बलात्कार का स्वतः संज्ञान लिया।

पुलिस महानिदेशक तथा एस.पी. को भेजे गये पत्रों में आयोग ने कहा कि मामले की जांच की जाये और की गई कार्यवाही की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाये। पुलिस निदेशक और एस.पी. द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363/366/376/352/502 के अंतर्गत यह मामला न्यायालय में दर्ज करा दिया गया है और एक आरोपी पकड़ा गया है तथा दूसरे का आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।